FORM –I
(For projects linear projects)

Government of M.P.
Office of the District Collector, Chhatarpur

No. ..../FRA/Tribal/2022-23 10693

Chhatarpur Date 26/10/022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted For Non Forest purpose read with MOEF's letter dated 5 th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that total area 30.426 hec. Hectares in Compartment No P-71,321,322,323,347,370,3-69,374,368,371,373,428,429,427,432 Forest Land and in favour of MPPWD Sagar (MP) for a part of Gulganj-Amanganj-Pawai-Katni Road NH-43 Ext.Details are given below.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 30.426 in Compartment No P-71,321,322,323,347,370,3-69,374,368,371,373,428,429,427,432 of forest land A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s),. Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure —-to-- Annexure.

(b) The diversion of forest land and Revenue forest for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Collector
Distt. Chhatarpur

Encl: As above

कार्यालय कलेक्टर, (जन जातीय कार्य विभाग) जिला छतरपुर म.प्र.

क्र./वन अधिकार/2022–23/10688

प्रति,

छतरपुर दिनांक 26/10/022

कार्यपालन यंत्री.,
लोक निर्माण विभाग(रा.रा.)
सागर संभाग सागर

विषय :– वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत प्रपत्र–1 प्रदाय करने बावत्।

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक /366/कार्य/2020–21/सागर दिनांक 01.02.2021 प्राप्ति दिनांक 30.07.2021

—00—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के खण्ड किमी. 0+00 से किमी. 43+00 तक (ग्राम गुलगंज से बराना नदी,ग्राम कुपी) चौड़ीकरण एवं एकरेखड़ सुधार कार्य में वन मण्डल छतरपुर के वन परिक्षेत्र बिजावर के क्षेतांतर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विनिश्चय प्रमाण–पत्र चाहा गया है, उक्त के संबंध में अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर को सम्पूर्ण प्रकरण भेजा जाकर प्रस्ताव में वन अधिकार समिति, ग्राम सभा, एवं उपखण्ड स्तरीय समिति से नियमानुसार प्रस्ताव चाहा गया था जो कि उनके पत्र कमांक/964/वन.मा.अधि./वनाधिकार/2022 दिनांक 29.07.2022 प्राप्त हो चुका है।

उपखण्ड स्तरीय समिति का प्रस्ताव प्रमाण–पत्र, पत्र दिनांक 04.05.2022 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का ठहराव (विनिश्चय) दिनांक 11.01.2022, ग्राम सभा का कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 11.01.2022, के आधार पर वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(रा.रा.) सागर संभाग सागर के सन्दर्भित आवेदन पर ग्राम सभा पहाड़ी बावन के ग्राम सपौहां तहसील राजनगर के कम्पार्टमेंन्ट कक्ष क्रमांक पी–00683 रकवा 8.212 हे0 के विनिश्चिय प्रमाण–पत्र देने के संबंध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त कक्ष क्रमांक के आस–पास स्थित ग्रामों में रहने वाले स्थानीय ग्रामीण परिवारों को जंगल से प्राप्त होने वाली आय अकास्ठीय लघु वनोपज (N.T.F.P.) एवं अन्य तेदूपत्ता संग्रहण जो कि कम्पनी द्वारा एवं म0प्र0 शासन तथा भारत शासन के वर्तमान एवं इस संबंध में भविष्य के निर्णय के अनुसार एवं मुआवजा/कार्यवाही विधि अनुसार संपादित की जावेगी।

अतः पत्र के साथ संलग्न प्रमाणित कार्यवाही विवरण उपखण्ड स्तरीय समिति का प्रस्ताव प्रमाण–पत्र दिनांक 04.05.2022, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का ठहराव (विनिश्चय) दिनांक 11.01.2022, ग्राम सभा का कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 11.01.2022, के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में लिये गये निर्णय के अनुसार ही विनिश्चय प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है।

उपरोक्त संलग्न निर्णयों के अनुसार ही कार्यवाही सम्पादित की जाना अनिवार्य होगा। पत्र के साथ विश्चिय प्रमाण पत्र तथा अन्य सहपत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

जिला संयोजक
जनजातीय कार्य विभाग
छतरपुर म.प्र.
छतरपुर दिनांक 26/10/022

पृ.क्र./वन अधिकार/2022–23/10689

प्रतिलिपि :–

1– वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल छतरपुर म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– खनिज अधिकारी जिला छतरपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला संयोजक
जनजातीय कार्य विभाग
छतरपुर म.प्र.

F.R.A